FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सी

माया देवी बनाम अंकुर नं. 13/2023 सन्

किस्म मुकदमा दावा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
8-10-23	पत्रावली पेश हुई। [illegible] पक्षकारान् उपस्थित। [illegible] दौरे/अन्य कार्य में [illegible] हैं। पत्रावली वास्ते [illegible] दि[illegible] 25-10-23 [illegible]
25-10-23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय [illegible] पक्षकारान् उपस्थित। [illegible]सीन अ[illegible] दौरे/अन्य कार्य में [illegible]स्त/मी[illegible] हैं। पत्रावली वास्ते अ[illegible] दिनांक 02-11-23 को पेश हो।
2-11-23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 13-12-23 को पेश हो।
13.12.2023	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। वादीया अभिभाषक ने प्रकरण के बंटवारा से सम्बन्धित [illegible] प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव [illegible] रिपोर्ट प्राप्त हो जाने तथा उक्त विधिक विभाजन प्रस्ताव [illegible] सहमति व्यक्त करते हुए प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनु[illegible] प्रकरण में अन्तिम डिक्री किये जाने हेतु वाद पत्र में आज ही बहस सुनी जाकर वादपत्र का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। जिस पर उपस्थित

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:23:31 IST
Reason: SelfAttested

— लगातार —

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

व हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	वकील प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने द्वारा पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आपत्ति दिनांकित 17.08.2023 का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। जिस पर वकील वादिया ने बहस सुनी जाने हेतु सहमति व्यक्त की। प्रकरण में वकील प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से पेश प्रार्थना पत्र दरख्वास्त दिनांकित 17.08.2023 पर एंव न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 1297/भू.अ./2022 दिनांक 04.08.2023 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। वकुंलाय उभय पक्षकारान् की बहस उपरान्त वकील प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से पेश प्रार्थना पत्र दरख्वास्त दिनांकित 17.08.2023 को खारिज किया जाता है। जिसका विस्तृत निर्णय मूल वादपत्र के निर्णय में अंकित किया गया है। वकील वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट मय विभाजन प्रस्ताव को अंतिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Dilip Singh Date: 2023.12.20 11:23:31 IST Reason: SelfAttested 13/12/23 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राजस्थान
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
13/2023	2023/33	24.01.2023	13.12.2023 (अंतिम डिक्री)

उनवान प्रकरण

1. माया सैनी पत्नी श्रीकान्त जाति माली निवासी ग्राम दुर्जनपुरा तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू राज0

—वादीया—

बनाम

1. अंकुर मृतक के बजाय:–

   1/1. आशा बंसल पत्नि स्व0 अंकुर जाति महाजन निवासी बस स्टेण्ड श्रीमाधोपुर सीकर राज0

   1/2. अविका बंसल पुत्री स्व0 अंकुर (जरिये संरक्षक माता आशा बंसल)

   1/3. गौरांश बंसल पुत्र स्व0 अंकुर (जरिये संरक्षक माता आशा बंसल)

2. गिरधारी पुत्र गोरूराम जाति जाट निवासी ग्राम भारणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
3. जितेन्द्र कुमार पुत्र लादूराम जाति माली निवासी ढाणी बिज्यावाली श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)
4. पूजा कंवर पुत्री उम्मेदसिंह
5. पूनम कंवर पुत्री उम्मेदसिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:23:31 IST
Reason: SelfAttested

13/12/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

6. प्रकाश कवंर पत्नी उम्मेदसिंह

7. विक्रमसिंह पुत्र उम्मेदसिंह

8. विरेन्द्रसिंह पुत्र उम्मेदसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासीगण जालपाली, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

9. परवती देवी पत्नी ओमप्रकाश जाति महाजन

10. भोपालराम पुत्र रेखाराम जाति जाट

11. मालीराम पुत्र मांगूराम जाति जाट

12. रघूवीर सिंह पुत्र नानूसिंह जाति राजपूत

13. राजेन्द्र कुमार पुत्र शिवप्रसाद जाति जाट

14. सिणगारी देवी पत्नी मोहरीलाल जाति बलाई

15. सीताराम पुत्र नाथूराम जाति जाट

निवासी ढ़ाणी बिज्यावाली श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

16. उपपंजीयक श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

17. पटवारी हल्का श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

18. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

————प्रतिवादीगण——

उपस्थितः—

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:23:31 IST
Reason: SelfAttested

श्री जितेन्द्र कुमार गौड़, एड0 वादीगण की ओर से अभिभाषक।

श्री विकम सिंह बांकावत, एड0 प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 18 की ओर से।

Rathore
13/12/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

वादपत्र बाबत बंटवारा एंव स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

—:: निर्णय ::—

संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि वादीया ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1951 रकबा 1.17 हैक्टर तन् राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित है। जिसकी 31321/390000 हिस्से की खातेदारी वादीया के नाम एंव शेष हिस्से की खातेदारी प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 15 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड अंकित है। उक्त वर्णित भूमिया वादीया एंव प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी भूमिया है तथा उक्त भूमियो का पक्षकारान के मध्य कोई विधिक विभाजन नही हुआ हैं तथा बिना विधिक विभाजन सहखातेदार का कानूनन इंच इंच पर हक हिस्सा अधिकार होता हैं। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि को लेकर आये दिन अनावश्यक रूप से वाद– विवाद उत्पन्न किया जाता रहा है तथा उक्त भूमि का समुचित रूप से काश्त के रूप में उपयोग करने में प्रतिवादीगण आये दिन अवरोध कारित करते रहते है तथा बात–बात को लेकर झगड़े फसाद एंव मरने–मारने पर उतारू हो जाते है। इसलिये उक्त भूमि का वादीया का प्रतिवादीगण की शामिल खातेदारी में काश्त किया जाना असम्भव हो गया है तथा वादीया अपनी आवश्यकतानुसार अपनी भूमि को समुचित विकास एंव उपयोग–उपभोग करने से महरूम हो रही है। इसलिये वादीया के पास अन्य कोई विकल्प नही होने के कारण उक्त वर्णित भूमि का कानूनन विभाजन कराया जाना न्यायोचित व आवश्यक हो गया है। उक्त वर्णित भूमि को बाला–बाला बिना विधिक या संतुलित रूप से बंटवारा करवाये ही भूमियों को दीगर भूमाफियाओं को विकय कर उनका कब्जा [illegible] भूमि के विशिष्ट भाग पर निर्माण करने एंव कृषि भूमि को [illegible] धमकियॉ दे रहे है। वादिया को उसके हक हिस्से से महरूम कर बेदखल करने की धमकीयॉ दे रहे है व कुचेष्टा कर रहे है। जिनको सयुंक्त परिवार की पैतृक शामलाती भूमि का बिना बंटवारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:23:31 IST
Reason: SelfAttested

Rathore
13/12/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

कराये कोई हक अधिकार किसी प्रकार का नही है। वादीया को प्रतिवादीगण ने काफी हैरान परेशान कर रखा है, कहने सुनने से प्रतिवादीगण मान नही रहे है। इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है।

वादीया व प्रतिवादीगण ने अपनी उक्त भूमियों का बंटवारा नहीं कर रखा है। इसलिए वादिया ने उक्त भूमियों का बटवारा करवाने हेतु प्रतिवादीगण को कहा तो वे आजकल–आजकल करते रहें तथा दिनांक 11.01.2023 को प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 15 ने भूमियों का कानूनी बंटवारा करवाने से स्पष्ट इन्कार दिया तथा बिना विभाजन के भूमियों के कीमती विशिष्ठ एंव उपजाऊ भाग पर जोर जबरन से अतिक्रमण करने एंव कब्जा करने व कृषि से अकृषि भूमि में परिवर्तित करने एंव दीगर व्यक्तियों को अन्तरित करने व उक्त भूमि का छोटे–छोटे भूखण्डो में बैचान करने की एहलानिया धमकी देने से वादकारण पैदा हुआ हैं व लगातार हो रहा हैं।

वादीया द्वारा दावा प्रस्तुत कर कृषि भूमि खसरा नम्बर 1951 रकबा 1.17 हैक्टर तन् राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार अनुसार वादीया एंव प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 15 के मध्य विधिक विभाजन करवाया जाकर अलग–अलग बटा नम्बर डालकर अलग–अलग राजस्व रिकार्ड बनाया जाकर लगान कायम किये जाने तथा अलग–अलग सींव कायम कर नक्शें में तरमीम करवाये जाने तथा प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 15 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाये जाने हेतु निवेदन किया है।

इस पर वादीया के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 18 की सम्मन तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाई गई। प्रतिवादी संख्या 2, 11, 13 की ओर से वकालतनामा पेश करने बाबत श्री कमल [illegible] एड0 ने एंव प्रतिवादीगण संख्या 3 व 7 की ओर से वकालतनामा [illegible] सिंह बांकावत एड0 ने अण्डरटेंकिग पेश की। श्री [illegible] द्वारा बावजूद अण्डरटेंकिग प्रतिवादीगण संख्या 2, 11 व 13 की ओर से एंव श्री वि[illegible]सिंह बांकावत एड0 ने प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से वकालतनामा पेश नहीं करने पर प्रतिवादीगण संख्या 2, 7, 11 व

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:23:31 IST
Reason: SelfAttested

13/12/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

13 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 6, 8 व 16 ता 18 की सम्यक तामील हो जाने के पश्चात हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 6, 8 व 16 ता 18 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण संख्या 1/1 से 1/3 (प्रतिवादी संख्या 1/2 से 1/3 के नाबालिग होने से जरिये सरंक्षिका माता आशा बंसल) की ओर से प्रतिवादी संख्या 1/1 आशा बंसल पत्नि अंकुर बंसल ने स्वंय उपस्थित होकर वादपत्र के बंटवारा से होने से अपने हिस्से की भूमि का भी अलग से बट्टा नम्बर डालकर बंटवारा किये जाने हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना पत्रावली की आदेशिका पर अंकित करते हुए अपने हस्ताक्षर किये है। प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से श्री विक्रम सिंह बांकावत एड0 ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया गया। वकील वादीया ने प्रकरण के तकासमा से सम्बन्धित होने से प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने हेतु प्रकरण में बहस सुनी जाकर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने बाबत् निवेदन किया गया। जिस पर उपस्थित प्रतिवादीगण संख्या 1/1 से 1/3 की ओर से प्रतिवादी संख्या 1/1 ने लिखित सहमति के आधार पर प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने हेतु बहस सुनी गयी। जिस पर उपस्थित वकील प्रतिवादी संख्या 3 ने पक्षकारान् के हक हिस्से में दर्ज हिस्सानुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने हेतु सहमति प्रदान की।

वादीया अभिभाषक के निवेदन एंव प्रतिवादीगण संख्या 1/1 ता 1/3 की तरफ से आशा बंसल पत्नि अंकुर द्वारा स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर प्राथमिक डिक्री जारी करने हेतु लिखित सहमति प्रदान कर दिये जाने तथा प्रतिवादीगण संख्या 2, 4 लगायत 8, 11, 13, 16 लगायत 18 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने पर प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम [illegible] राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/न्याया/ [illegible] 51/[illegible]/[illegible] 10346 दिनांक 05.10.2020 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी [illegible] जाकर जरिये पत्र कमांक 1878/रीडर/2023 दिनांक 22.06.2023 के द्वारा पालन [illegible]पोर्ट मय विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट अलग–अलग रंगों में तैयार कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:23:31 IST
Reason: SelfAttested

13/12/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

थी। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के जरिये पत्रांक 1297/भू.अ./2022 दिनांक 04.08.2023 के द्वारा प्राप्त हुये। जो शामिल पत्रावली संलग्न किये गये है।

भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव पर वकील प्रतिवादी संख्या 3 ने एक प्रार्थना पत्र बाबत बिना प्रतिवादी संख्या 3 की सहमति के जारी प्रारम्भिक डिक्री आदेश को निरस्त कर प्रतिवादी संख्या 3 को जवाब दावा पेश करने का अवसर दिया जाकर तनकीयात कायम करके प्रकरण का विधिपूर्ण तरीके से निस्तारण किये जाने का पेश किया। जिसकी नकल वकील वादिया को दिलाई जाने पर वकील वादिया ने जवाब दरख्वास्त पेश कर प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता द्वारा दिनांक 13.04.2023 को अण्डरटेंकिग पेश कर दी गई थी। न्यायालय द्वारा वकालतनामा व जवाब पेश करने हेतु हिदायत दी गई थी। इसके बावजूद भी वकील प्रतिवादी संख्या 3 के द्वारा निर्धारित समयावधि में जवाबदावा पेश नहीं किया गया था। न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भिक डिक्री भी प्रतिवादी संख्या 3 के अधिवक्ता की उपस्थिति में ही पारित किये जाने के आदेश दिये गये थे तथा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में की गई सम्पूर्ण कार्यवाही की जानकारी भी वकील प्रतिवादी संख्या 3 को थी। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन वकील वादिया द्वारा अपनी बहस में किया गया है। वकील प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस पर सगौर मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद बंटवारा से सम्बन्धित है। जिसमें वादिया द्वारा अपने हक हिस्से में आने वाली भूमियों का विधिक तकास्मा करवाने हेतु पेश किया गया है। उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 3 व 7 की ओर से वादपत्र की तीसरी पेशी पर ही श्री विक्रम [illegible] एड0 ने इनकी ओर से आईन्दा पेशी पर वकालतनामा पेश करने बाबत अण्डरटेकिंग की गई थी एंव प्रकरण में जिस दिन प्रारम्भिक डिक्री जा[illegible] वकील प्रतिवादी संख्या 3 न्यायालय के समक्ष मौके पर उपस्थित थे तथा इनकी [illegible]स्थिति में ही प्रतिवादी संख्या 1/1 की ओर से अपनी भूमियों का बंटवारा किये जाने हेतु अपनी सहमति दी जाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:23:31 IST
Reason: SelfAttested

13/12/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

पत्रावली की आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर अंकित किये गये थे। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्रारम्भिक डिक्री की पालना रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त होकर दिनांक 08.09.2023 को पत्रावली में संलग्न की गई थी जबकि वकील प्रतिवादी संख्या 3 के द्वारा दिनांक 17.08.2023 को ही उक्त प्राप्त होने वाली प्रारम्भिक डिक्री की पालना रिपोर्ट पर आपत्ति पेश कर दी गई थी। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि वकील प्रतिवादी संख्या 3 को प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तैयार किये गये विधिक विभाजन की मौका रिपोर्ट की पूर्णरूपेण जानकारी थी। अतः ऐसी स्थिति में वकील प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत बिना प्रतिवादी संख्या 3 की सहमति के जारी प्रारम्भिक डिक्री आदेश को निरस्त करने को खारिज किया जाता है।

प्रकरण में समस्त पक्षकारान् में से प्रतिवादीगण संख्या 1/1 से 1/3 के द्वारा लिखित सहमति प्रदान कर दिये जाने तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने तथा प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने तथा प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट से वकील वादीया ने सहमती जाहिर करते हुए वादपत्र में आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व कुर्रेजात रिपोर्ट में अंकित विवरणानुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। जिस पर उपस्थित प्रतिवादी संख्या 1/1 ने प्राप्त प्रस्ताव से सहमति व्यक्त करते हुए प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। अतः वकील वादीया के निवेदन व प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर प्रकरण ... सम्बन्धित होने से अन्तिम डिक्री जारी किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:23:31 IST
Reason: SelfAttested

12/12/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

–: कियात्मक आदेश :–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीया का वाद बाबत बंटवारा एंव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। इस प्रकार वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुए बंटवारा अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार दिनांक 04.08.2023 में वर्णित विधिक विभाजन प्रस्ताव, नजरी नक्शा ट्रेस के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है:–

जमाबंदी की वर्तमान स्थिति :–

प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव					
खाता संख्या	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	प्रस्तावित खसरा न.	रकबा (हैक्टेमें)	किस्म	लगान (रू. में)
69	1. अंकुर कुमार पुत्र श्रवन कुमार हिस्सा 683/5850 जाति महाजन सा देह 2. गिरधारी सिंह पुत्र गोरूराम हिस्सा 17/117 जाति जाट सा0 भरणी खातेदार 3. जीतेन्द्र कुमार पुत्र लादूराम हिस्सा 787/5850 जाति माली सा0 देह खातेदार 4. पूजाकंवर पुत्री उम्मेदसिंह हिस्सा 1/15 जति राजपूत सा देह खातेदार	1951	1.17	बारानी–2	4.56

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:23:31 IST
Reason: SelfAttested

12/12/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

5. पूनमकंवर पुत्री उम्मेदसिंह हिस्सा 1/15 जाति राजपूत सा देह खातेदार				
6. प्रकाश कंवर पत्नी उम्मेद सिंह हिस्सा 19301/2340000 जाति राजपूत सा देह खातेदार				
7. परवती देवी पत्नी ओमप्रकाश हिस्सा 173/5850 जाति महाजन सा देह खातेदार				
8. परवती देवी पत्नी ओमप्रकाश हिस्सा 18157/1170000 जाति महाजन सा देह खातेदार				
9. भोपालराम पुत्र रेखाराम हिस्सा 25/468 जाति जाट सा देह खातेदार				
10. माया सैनी पत्नी श्रीकांत हिस्सा 31321/390000 जाति माली सा दुर्जनपुरा तह नवलगढ झुझुनू				
11. मालीराम पुत्र मांगुराम हिस्सा 25/468 जाति जाट सा देह खातेदार				
12. रघुवीर पुत्र नानू सिंह हिस्सा 13993/390000 जाति राजपूत सा देह खातेदार				

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:23:31 IST
Reason: SelfAttested

Rathore
13/12/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

	13. राजेन्द्र कुमार पुत्र शिवप्रसाद हिस्सा 25 / 468 जाति जाट सा देह खातेदार 14. विक्रम सिंह पुत्र उम्मेद सिंह हिस्सा 19301 / 2340000 जाति राजपूत सा देह खातेदार 15. वीरेन्द्र सिंह पुत्र उम्मेद सिंह हिस्सा 1 / 15 जाति राजपूत सा देह खातेदार 16. सिंणगारी देवी पत्नी मोहरी लाल हिस्सा 7 / 585 जाति बलाई सा देह खातेदार 17. सीताराम पुत्र नाथूराम हिस्सा 25 / 468 जाति जाट सा देह खातेदार				

मौके के अनुसार खाते का विभाजन प्रस्ताव :–

प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:23:31 IST
Reason: SelfAttested

13/12/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

क्र. संख्या	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	प्रस्तावित खसरा न.	रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म	लगान (रू. में)
1.	अंकुर कुमार पुत्र श्रवन कुमार मृत्तक के स्थान पर 1/1. आशा बंसल पत्नि स्व0 अंकुर जाति महाजन निवासी बस स्टेण्ड श्रीमाधोपुर सीकर राज0 1/2. अविका बंसल पुत्री स्व0 अंकुर (जरिये संरक्षक माता आशा बंसल) 1/3. गौरांश बंसल पुत्र स्व0 अंकुर (जरिये संरक्षक माता आशा बंसल)	1951/1	0.1366	बारानी–2	
2.	माया सैनी पत्नी श्रीकांत जाति माली सा दुर्जनपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू खातेदार	1951/2	0.0940	बारानी–2	0.37
3.	1. गिरधारी सिंह पुत्र गोरूराम हिस्सा 85/538 जाति जाट सा0 भारणी खातेदार 2. जीतेन्द्र कुमार पुत्र लादूराम हिस्सा 787/5380 जाति माली सा0 देह खातेदार	19[illegible]3	[illegible]9394	बारानी–2	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:23:31 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

3. पूजाकंवर पुत्री उम्मेदसिंह हिस्सा 39/538 जति राजपूत सा देह खातेदार 4. पूनमकंवर पुत्री उम्मेदसिंह हिस्सा 39/538 जाति राजपूत सा देह खातेदार 5. प्रकाश कंवर पत्नी उम्मेद सिंह हिस्सा 19301/2152000 जाति राजपूत सा देह खातेदार 6. परवती देवी पत्नी ओमप्रकाश हिस्सा 52757/1076000 जाति महाजन सा देह खातेदार 7. भोपालराम पुत्र रेखाराम हिस्सा 125/2152 जाति जाट सा देह खातेदार 8. मालीराम पुत्र मागुराम हिस्सा 125/2152 जाति जाट सा देह खातेदार				

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:23:31 IST
Reason: SelfAttested

13/12/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी

	9. रघुवीर पुत्र नानू सिंह हिस्सा 20971 / 538000 जाति राजपूत सा देह खातेदार 10. राजेन्द्र कुमार पुत्र शिवप्रसाद हिस्सा 125 / 2152 जाति जाट सा देह खातेदार 11. विक्रम सिंह पुत्र उम्मेद सिंह हिस्सा 19301 / 2152000 जाति राजपूत सा देह खातेदार 12. वीरेन्द्र सिंह पुत्र उम्मेद सिंह हिस्सा 39 / 538 जाति राजपूत सा देह खातेदार 13. सिंणगारी देवी पत्नी मोहरी लाल हिस्सा 7 / 538 जाति बलाई सा देह खातेदार 14. सीताराम पुत्र नाथूराम हिस्सा 125 / 2152 जाति जाट सा देह खातेदार				

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:23:31 IST
Reason: SelfAttested

13/12/23

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबन्दी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग–अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावें। मौका अनुसार खाता विभाजन की क्रम संख्या 1 पर अंकित खातेदारान् जहाँ पर काबीज है उनका उसी स्थान पर अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये पंत्राक 1297 / भू.अ. / 22 दिनांक 04.08.2023 के द्वारा प्राप्त मौके के अनुसार खाते का विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा मय कुर्रेजात रिपोर्ट को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Rathore 13/12/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) सत्यमेव जयते

यह निर्णय आज दिनांक 13.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rathore 13/12/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:23:31 IST
Reason: SelfAttested